भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 124
(जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों पर निगरानी रखा जाना

***124. श्री कल्पतरू दास :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों/कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों को विनियमित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए किसी विनियामक एवं निगरानी प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्राधिकरण का गठन किए जाने के संबंध में विचार करेगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों पर निगरानी रखे जाने से संबंधित दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : सरकार ने सरकारी कंपनियों सहित कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) पहल प्रयासों के उचित मूल्यांकन और विकास के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय (टीओआर) और संरचना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*****